पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2021 का आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 18

थाना से उत्पन्न कांड संख्या-60 वर्ष-2018 थाना-बढ़ैला जिला-रोहतास

==========

रमेश पांडे, पिता- स्वर्गीय हरिहर पांडे, निवासी- गाँव-माघीवान, थाना-बाघिला, जिला-रोहतास।

... ... अपीलार्थी

बनाम्

बिहार राज्य

... ... उत्तरदाता

==========

के साथ

2021 का आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 54

थाना से उत्पन्न कांड संख्या-60 वर्ष-2018 थाना-बढ़ैला जिला-रोहतास

==========

लक्ष्मीकांत पांडे, पिता- रमेश पांडे, निवासी- गाँव-माघीवान, थाना-बाघिला, जिला-रोहतास

... ... अपीलार्थी

बनाम्

बिहार राज्य

... ... उत्तरदाता

==========

उपस्थितिः

(2021 के आपराधिक आवेदन (खण्ड पीठ) संख्या 18 में)

अपीलार्थी के लिए : श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
श्री अजय कुमार तिवारी, अधिवक्ता

राज्य के लिए : सुश्री शशि बाला वर्मा, अ.लो.अ.

सूचना देने वाले के लिए : श्री अरविंद कु. पांडे, अधिवक्ता

(2021 की आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 54 में)

अपीलार्थी के लिए : श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
श्री अजय कुमार तिवारी, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री शशि बाला वर्मा, अ.लो.अ.

सूचना देने वाले के लिए : श्री अरविंद कु. पांडे, अधिवक्ता

==========

भारतीय दंड संहिता---धारा 304 बी, 34---दंड प्रक्रिया संहिता---धारा 313---भारतीय साक्ष्य अधिनियम---धारा 113 बी---दहेज हत्या के आरोप पर दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील---आरोप के अनुसार, पीड़िता की शादी के तीन महीने के भीतर गंभीर रूप से जलने से मृत्यु हो गई और उसका जला हुआ शरीर अपीलकर्ताओं के घर में पाया गया, जो मृतका के पति और ससुर हैं---निष्कर्ष: हालांकि वर्तमान मामले में सूचक की बेटी की शादी के 7 साल के भीतर जलने से अप्राकृतिक मृत्यु हो गई, लेकिन इस अदालत को यह राय बनाने के लिए कोई ठोस सामग्री नहीं मिली कि मृतका को उसकी मृत्यु से ठीक पहले अपीलकर्ताओं द्वारा जलने की चोटों के रूप में क्रूरता का सामना करना पड़ा था और इसलिए अभियोजन पक्ष साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत अनुमान का लाभ पाने का हकदार नहीं है---यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि यदि साक्ष्यों के आलोक में दो दृष्टिकोण उपलब्ध हैं, अभियुक्त के अपराध के प्रति तथा उसकी निर्दोषता के प्रति दूसरे पक्ष का दृष्टिकोण है तो अभियुक्त के पक्ष में जो दृष्टिकोण है उसे अपनाया जाना चाहिए क्योंकि न्यायालय का सर्वोपरि विचार न्याय की विफलता को रोकना होना चाहिए---इलेक्ट्रॉनिक संदेश, जिसके बारे में कहा जाता है कि घटना के घटित होने से कुछ घंटे पहले मृतका ने स्वयं भेजा था, को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में रिकार्ड में नहीं लाया गया---प्रत्यक्ष साक्ष्य से पता चलता है कि मृतका और उसके पति की शैक्षणिक योग्यता में कुछ अंतर था, जिसके कारण मृतका ने आत्महत्या की होगी---जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एफआईआर संख्या का उल्लेख न किया जाना, जबकि एफआईआर इन रिपोर्टों के तैयार होने से पहले दर्ज की गई थी, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया है, तथा संबंधित क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को एफआईआर भेजने में तीन दिन की देरी का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया---अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असमर्थ है कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मृतका के साथ उसकी मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता की गई थी---अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं---आरोपित अपराध के लिए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने और सजा सुनाने वाले निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है---अपील स्वीकार की जाती है---अपीलकर्ताओं को बरी किया जाता है। (पैरा- 18, 33, 36, 37)

एआईआर 2004 एससी 1731, (2003) 8 एससीसी 180, (1994) 5 एससीसी 188 .....पर भरोसा किया गया।

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह)

तारीखः 01-08-2024

दोनों अपीलें एक ही निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उन पर एक ही निर्णय द्वारा निर्णय लिया जा रहा है।

2. विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार ठाकुर को सुना गया, जिनकी सहायता अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार तिवारी, राज्य की विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक सुश्री शशि बाला वर्मा और सूचक के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार पांडे ने की।

3. बघैला थाना कांड संख्या 60/2018 से उत्पन्न सत्र परीक्षण वाद संख्या 180/2019 में विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-XIII, रोहतास, सासाराम द्वारा पारित दिनांक 10.07.2020 के दोषसिद्धि के फैसले और दिनांक 13.07.2020 के सजा के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई है, जिसके तहत दोनों अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'भा.दं.सं.') की धारा 34 के साथ धारा 304 बी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उन दोनों को भा.दं.सं. की धारा 304 बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया गया है।

<u>अभियोजन की कहानीः-</u>

4. अभियोजन पक्ष की कहानी का सार इस प्रकार हैः-

सूचक के अनुसार, जो मृतका का पिता है, उसने अपनी पुत्री सुमन कुमारी पांडेय की शादी दिनांक 11.05.2018 को अपीलकर्ता लक्ष्मी कांत पांडेय से की थी और जब भी वह और उसके परिवार के सदस्य मृतका के *ससुराल* जाते थे, अभियुक्तगण/अपीलकर्ता उनसे दो लाख रुपए, एक सोने की चेन, स्टेबलाइजर, एक इनवर्टर और डिश टीवी आदि की मांग करते थे और इन मांगों को लेकर उनकी पुत्री को प्रताड़ित किया जाता था और दिनांक 09.08.2018 को जब वह *तीज* के त्यौहार के अवसर पर अपनी पुत्री के *ससुराल* गया था, तब अपीलकर्तागण और अन्य अभियुक्तगण, जो मृतका के ससुराल वाले हैं, ने दहेज की मांग को लेकर उससे बहस की और फिर अपीलकर्ता लक्ष्मी कांत पांडेय, उसके रिश्तेदार बीरेंद्र पांडेय और उसकी पत्नी गुरिया देवी और कुछ अन्य लोग वहां पहुंचे और उन सभी ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और उसे जल्द से जल्द अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कहा और साथ ही उससे एक वाहन का स्वामित्व अपीलकर्ता लक्ष्मी कांत पांडे के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए भी कहा और आगे धमकी दी गई कि यदि सोने की चेन की उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो यह उनकी बेटी के हित में नहीं होगा। यह सुनकर वह वापस आ गया और अगले ही दिन यानि 10.08.2018 को उसके मोबाइल फोन नंबर पर उसकी बेटी द्वारा अपने मोबाइल फोन से भेजा गया एक संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि उसकी सास ने *साड़ी* की मांग को लेकर उसके ससुराल में तनाव पैदा कर दिया है और उसे उसके मायके वालों से बात करने से रोक दिया गया है और उसके ससुर ने कहा है कि अब उसके भाई को उसकी शादी के लिए कोई दूसरा आदमी ढूंढना पड़ेगा और यह भी कहा कि उसके पिता को दस लोगों के साथ आना होगा और उनसे लिखित और हस्ताक्षरित कागज प्राप्त करने के बाद ही वह उसे उसके मायके जाने देंगे। सूचक ने आगे आरोप लगाया कि संदेश सुबह 9:35 बजे भेजा गया था लेकिन उसने संदेश दोपहर 1:00 बजे देखा। इसके बाद वह *मझिआंव* गांव (मृतका की *ससुराल*) पहुंचे और अपनी बेटी को (*आंगन)* में जली हुई हालत में पड़ा पाया और इसके बाद वह और उनका बेटा पुलिस थाने गए और एफआईआर दर्ज करने के लिए एक आवेदन (प्रदर्श-1) प्रस्तुत किया।

5. उपरोक्त आरोपों के साथ, सूचक ने बघैला पुलिस स्टेशन में एक लिखित प्राथमिकी (प्रदर्श -1) दर्ज की, उस आधार पर, बघैला थाना कांड संख्या 60/2018 को अभियुक्तों के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 304 बी के साथ धारा 34 के तहत औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिससे आपराधिक कानून गति में आ गया।

6. जांच पूरी होने के बाद, पुलिस ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया और बाकी आरोपियों के खिलाफ जांच लंबित रखी गई, इसके बाद, कथित अपराध का संज्ञान विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया और फिर, अपीलकर्ताओं का मामला सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया।

7. अपीलकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आरोप लगाए गए थे तथा उन्हें इसकी हिन्दी में व्याख्या की गई थी, जिससे उन्होंने इनकार किया तथा दावा किया कि उनके विरुद्ध उक्त अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाए।

8. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 7 गवाहों की जांच की जो इस प्रकार हैं:-

पी.डब्लू. 1	अजय कुमार पांडे	पीड़िता का बड़ा भाई
पी.डब्लू. 2	मिथिलेश कुमार पांडे	पीड़िता का छोटा भाई
पी.डब्लू. 3	धीरज कुमार चौबे	पीड़िता का चचेरा भाई (फुफेरा)
पी.डब्लू. 4	डॉ. श्री. भगवान सिंह	डॉक्टर
पी.डब्लू. 5	सुनील पांडे	पीड़िता का चाचा
पी.डब्लू. 6	नंदबिहारी पांडे	सूचनाकर्ता-पीड़िता का पिता
पी.डब्लू. 7	अनिल कुमार पांडे	जांच अधिकारी

9. दस्तावेजी साक्ष्य में, अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजों को साबित किया और उन्हें प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किया जो निम्नानुसार हैंः-

प्रदर्श 1	लिखित रिपोर्ट
प्रदर्श 1/1	लिखित रिपोर्ट पर नंद बिहारी पांडे (मुखबिर) के हस्ताक्षर
प्रदर्श 2	जांच रिपोर्ट पर मिथिलेश कुमार पांडे के हस्ताक्षर
प्रदर्श 2/1	जांच रिपोर्ट पर नंद बिहारी पांडे (मुखबिर) के हस्ताक्षर
प्रदर्श 3 और 3/1	जब्ती सूची पर हस्ताक्षर
प्रदर्श 4 और 4/1	औपचारिक एफआईआर पर अनिल कुमार पांडे के हस्ताक्षर
प्रदर्श 5	औपचारिक एफआईआर

10. अभियोजन पक्ष ने एक वस्तु/लेख भी प्रस्तुत किया, जिसे 'सामग्री प्रदर्श-1' के रूप में चिह्नित किया गया था।

11. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पूरे होने के बाद, अपीलकर्ताओं के बयान दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'सीआरपीसी') की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से उनके खिलाफ दिखाई देने वाली मुख्य परिस्थिति से इनकार किया, लेकिन उन्होंने अपने बयानों में कोई विशेष बचाव नहीं किया।

12. बचाव पक्ष के साक्ष्य में अपीलकर्ताओं ने 2 व्यक्तियों से पूछताछ की जो निम्नलिखित हैं: -

डी.डब्लू 1	संतोष कुमार राय
डी.डब्लू 2	श्रीमती ममता देवी

<u>अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियां</u>: -

13. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अजय कुमार ठाकुर ने प्रस्तुत किया कि न तो अपीलकर्ताओं और न ही उनके परिवार के सदस्यों ने मृतक से कोई दहेज की मांग की थी, वास्तव में, सूचक की बेटी (मृतक) अपने *ससुराल* में खुश नहीं थी और वह एक गुस्सैल महिला थी और कथित घटना से एक दिन पहले, सूचक कुछ उपहारों के साथ *तीज* त्योहार के अवसर पर मृतक के *ससुराल* गया था। तत्पश्चात, सूचक और उसकी पुत्री के मध्य कुछ गरमागरम बहस हुई और अगले दिन, सूचक की पुत्री ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली और उस समय, उसके ससुराल पक्ष का कोई भी सदस्य वहां मौजूद नहीं था और इस संबंध में, दो बचाव पक्ष के गवाहों डी.डब्लू.-1 और डी.डब्लू.-2 के साक्ष्य बहुत प्रासंगिक हैं। आगे यह भी कहा गया है कि कथित संदेश, जिसके बारे में कहा जाता है कि मृतका ने घटना के दिन कुछ घंटे पहले अपने पिता के मोबाइल फोन नंबर पर भेजा था, यह नहीं दर्शाता है कि अपीलकर्ता मृतका को 2,00,000 रुपये और घरेलू सामान की मांग के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, जैसा कि एफआईआर में आरोप लगाया गया है और उसने उस संदेश में केवल कुछ घरेलू मुद्दों का खुलासा किया है जो यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपीलकर्ता अपनी कथित मांगों के लिए उसे नियमित रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। कथित घटना में अपीलकर्ताओं की बेगुनाही के बारे में राय बनाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। हालांकि अपीलकर्ताओं के खिलाफ मृतका की उनके घर में अप्राकृतिक मौत के रूप में एक परिस्थिति है, लेकिन यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि जहां साक्ष्यों से दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो जो दृष्टिकोण अभियुक्त के पक्ष में है और उसकी बेगुनाही को दर्शाता है, उसे कानून के न्यायालय द्वारा अपनाया जाना चाहिए।

14. विद्वान वकील ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी गवाह सूचक के परिवार के सदस्य हैं और घटनास्थल के आसपास के एक भी व्यक्ति को पेश नहीं किया गया और न ही उसकी जांच की गई और जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एफआईआर नंबर का कोई विवरण नहीं है, जिससे पता चलता है कि ये दस्तावेज एफआईआर दर्ज होने से पहले तैयार किए गए थे और यह एफआईआर को एक पूर्व-दिनांकित दस्तावेज साबित करने के लिए पर्याप्त है और इसके अलावा जांच अधिकारी की ओर से एफआईआर को

मजिस्ट्रेट की अदालत में भेजने में तीन दिनों की देरी हुई, जो अभियोजन पक्ष के आरोप को अत्यधिक संदिग्ध बनाता है। इस दलील के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मेहराज सिंह (एल/एनके.) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा किया है, जिसके अनुरूप आपराधिक अपील संख्या 288/1994 कालू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (1994) 5 एससीसी 188 में रिपोर्ट की गई है।

<u>अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुतियाँः -</u>

15. इसके विपरीत, सूचक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय ने प्रस्तुत किया कि मृतका की मृत्यु उसके विवाह के तीन माह के अन्दर गम्भीर रूप से जलने के कारण हो गयी थी तथा उसके विवाह के समय से ही अपीलार्थीगण एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उससे दहेज की मांग की जा रही थी तथा इस सम्बन्ध में पी.डब्लू.-1, पी.डब्लू.-2, पी.डब्लू.-3, पी.डब्लू.-5 एवं पी.डब्लू.-6 के साक्ष्य सुसंगत हैं तथा उनके साक्ष्य से यह आरोप पूर्णतः सिद्ध हो गया है कि अपीलार्थीगण दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मृतका को उसके विवाह के समय से लेकर उसकी मृत्यु तक उसके माता-पिता के घर वापस नहीं जाने दे रहे थे तथा यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि मृतका को उसकी मृत्यु से ठीक पहले अपीलकर्ताओं द्वारा जलाकर शारीरिक क्रूरता की गयी थी, अतः अभियोजन पक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के अन्तर्गत उपधारणा का लाभ प्राप्त करने का हकदार है।

16. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक सुश्री शशि बाला वर्मा ने सूचक के वकील द्वारा की गई उपरोक्त दलीलों को स्वीकार किया।

<u>विचार एवं विश्लेषण :-</u>

17. दोनों पक्षों को सुना गया, विचारण न्यायालय के केस रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया और दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'सीआरपीसी') की धारा 313 के तहत आरोपियों/अपीलकर्ताओं द्वारा दर्ज किए गए बयानों पर भी गौर किया गया।

18. वर्तमान मामला दहेज हत्या से संबंधित है और आरोप के अनुसार, पीड़िता, जो सूचक की पुत्री थी, उसकी शादी के तीन महीने के भीतर गंभीर रूप से जलने के कारण मृत्यु हो गई और उसका जला हुआ शव अपीलकर्ताओं के घर में पाया गया। सूचक ने आरोप लगाया कि मृतका के पति लक्ष्मी कांत पांडे (आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 54/2021 में अपीलकर्ता) और मृतका के ससुर रमेश पांडे (आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 18/2021 में अपीलकर्ता), मृतका/पीड़िता को 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये), एक सोने की चेन, स्टेबलाइजर, एक इन्वर्टर और डिश टीवी की मांग को लेकर प्रताड़ित कर रहे थे और वे पीड़िता को उसके पैतृक घर जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे और 09.08.2018 को मृतका के पिता (सूचक) *तीज* त्योहार के कारण *मझिआंव* गांव (मझिआंव) गए थे, जो मृतका का ससुराल है और उस अवसर पर भी, अपीलकर्ताओं और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने फिर से कथित वस्तुओं की मांग की और मांग पूरी न होने पर सूचक को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। अगले दिन (अर्थात 10.08.2018) मृतका ने सूचक को उसके मोबाइल फोन पर संदेश भेजा जिसमें उसने बताया कि उसकी सास ने *साड़ी* की मांग को लेकर घर में कलह मचा रखा है तथा उसके ससुराल वालों ने उसे उसके मायके वालों से बात करने से रोक दिया है तथा कहा है कि अब उसके भाई को उसकी दूसरी शादी के लिए कोई दूसरा आदमी ढूंढना पड़ेगा तथा उसे अपने मायके वालों के घर तभी जाने दिया जाएगा जब उसके पिता अपने साथ 10 लोगों को लेकर आएंगे तथा उनके हस्ताक्षर वाला कागज तैयार करेंगे।

19. दूसरी ओर, अपीलकर्ताओं द्वारा किया गया मुख्य बचाव यह है कि मृतका एक सुंदर और शिक्षित महिला थी, जबकि उसका पति उतना शिक्षित नहीं था, इसलिए, मृतका अपने पति से संतुष्ट नहीं थी और अंततः उसने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर और खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली।

20. अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा उठाया गया पहला और सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि औपचारिक एफआईआर और जांच अधिकारी के साक्ष्य के अनुसार, जिसकी

पी.डब्लू.-7 के रूप में जांच की गई थी, एफआईआर 10.08.2018 को 14:10 बजे दर्ज की गई थी और उसी दिन 14:35 बजे जांच शुरू की गई थी, लेकिन जांच रिपोर्ट के साथ-साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी एफआईआर नंबर का कोई विवरण नहीं है, जबकि जांच रिपोर्ट भी 10.08.2018 को 15:20 बजे तैयार की गई थी और पोस्टमार्टम उसी दिन 23:00 बजे किया गया था, इसलिए एफआईआर नंबर का खुलासा नहीं करना दर्शाता है कि एफआईआर मृतक की जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार होने के बाद दर्ज की गई थी।इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान जांच अधिकारी (पी.डब्लू.-7) द्वारा जिरह में दिए गए बयान की ओर आकर्षित किया है। हम उक्त तर्क में तथ्य पाते हैं क्योंकि पी.डब्लू.-7 (आई.ओ.) ने अपनी जिरह में कहा है कि एफआईआर 10.08.2018 को 14:10 बजे दर्ज की गई थी और पुलिस स्टेशन घटनास्थल से 6 किलोमीटर दूर स्थित है और उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के बाद उसी दिन 14:35 बजे जांच शुरू की थी। उन्होंने आगे कहा कि एफआईआर 13.08.2018 को अदालत को भेजी गई थी।

21. यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जांच अधिकारी (पी.डब्लू.-7) संबंधित पुलिस स्टेशन के तत्कालीन स्टेशन हाउस ऑफिसर (संक्षेप में 'एसएचओ') थे और उन्होंने ही कथित घटना की जांच शुरू की थी। चूंकि पी.डब्लू.-7 *बघैला* थाना में सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, इसलिए उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि वे जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंधित कॉलम को खाली छोड़ दें, जिसमें मामले की एफआईआर संख्या का उल्लेख किया जाना आवश्यक था और यदि उक्त दस्तावेजों की तैयारी से पहले एफआईआर दर्ज की गई थी, तो ऐसा प्रतीत होता है कि एसएचओ ने जानबूझकर गुप्त उद्देश्य से दोनों दस्तावेजों के संबंधित कॉलम को खाली छोड़ दिया और इससे हम यह राय बनाते हैं कि जांच रिपोर्ट घटना के तुरंत बाद तैयार की गई थी और पोस्टमार्टम परीक्षा भी घटना के उसी दिन की गई थी और उसके बाद ही एफआईआर को सोच-समझकर दर्ज किया गया था क्योंकि इसे संबंधित मजिस्ट्रेट को इसके पंजीकरण के तीन दिन बाद यानी 13.08.2018 को भेजा गया था।

22. मामले के इस पहलू पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मेहराज सिंह** (उपर्युक्त) मामले में की गई टिप्पणी को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: -

> "**12.** .....यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एफआईआर उस समय दर्ज की गई थी जिस समय इसे दर्ज किया जाना बताया गया है, अदालतें आम तौर पर कुछ बाहरी जाँचों की तलाश करती हैं। जाँचों में से एक है स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआर की प्रति प्राप्त करना, जिसे हत्या के मामले में विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। यदि यह रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देरी से प्राप्त होती है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एफआईआर उस समय दर्ज नहीं की गई थी जिस समय इसे दर्ज किया जाना बताया गया है, जब तक कि अभियोजन पक्ष स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआर की प्रति भेजने या प्राप्त करने में देरी के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण न दे सके। दूसरी बाहरी जाँच जो उतनी ही महत्वपूर्ण है, वह है शव के साथ एफआईआर की प्रति भेजना और जाँच रिपोर्ट में उसका संदर्भ देना। हालाँकि सीआरपीसी की धारा 174 के तहत तैयार की गई जाँच रिपोर्ट का उद्देश्य अभियोजन पक्ष के मामले को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए एक वैधानिक कार्य करना होता है, फिर भी एफआईआर का विवरण और जाँच कार्यवाही के दौरान दर्ज किए गए बयानों का सार रिपोर्ट में परिलक्षित होता है। उन विवरणों की अनुपस्थिति इस तथ्य का संकेत है कि अभियोजन पक्ष की कहानी अभी भी भ्रूण अवस्था में थी और उसे कोई आकार नहीं दिया गया था और एफआईआर बाद में उचित विचार-विमर्श और परामर्श के बाद दर्ज की गई थी और फिर इसे तुरंत दर्ज की गई एफआईआर का रंग देने के लिए पहले से ही दर्ज कर लिया गया था।

23. यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि सूचक (पी.डब्लू.-6) ने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की है तथा पी.डब्लू.-6 के अनुसार, वह तथा उसका पुत्र मिथिलेश कुमार पाण्डेय एफआईआर दर्ज कराने थाने गये थे तथा उन्होंने अपने पुत्र से एफआईआर लिखवाई थी। सूचक तथा उनका पुत्र मिथिलेश कुमार पाण्डेय दोनों ही क्रमशः 10 वीं तथा 12 वीं तक शिक्षित हैं, परन्तु सूचक ने स्वयं शिक्षित होने के बावजूद अपने पुत्र से एफआईआर क्यों लिखवाई, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है।

24. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, मृतका को उसके मायके वापस लाने के लिए सूचक, उसके बेटे और अन्य रिश्तेदार 4-5 बार उसके ससुराल गए, लेकिन हर बार अपीलकर्ता और उनके परिवार के सदस्यों ने उसे अपने साथ जाने की अनुमति नहीं दी।

आरोप से पता चलता है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता मृतका को उसकी शादी के समय से ही प्रताड़ित कर रहे थे और उसके पिता, भाइयों और उसके रिश्तेदारों द्वारा चार से पांच बार अनुरोध किए जाने के बावजूद उसे उसके मायके वापस जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। मृतका के भाई पी.डब्लू.-1 ने जिरह में बताया कि अपीलकर्ताओं द्वारा मृतका को कई बार उसके मायके जाने से रोकने की बात किसी को नहीं बताई गई तथा इस संबंध में *मझिआंव* गांव में कोई पंचायत बैठक भी नहीं हुई। इस साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि मृतका को उसके पैतृक घर वापस न जाने देने के अपीलकर्ताओं के लगातार आचरण के बावजूद अभियोजन पक्ष चुप रहा और इससे अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह पैदा होता है।

25. पी.डब्लू.-1 और पी.डब्लू.-2, जो मृतक के भाई हैं, के साक्ष्य के अनुसार, अभियुक्त/अपीलकर्ताओं ने पी.डब्लू.-1 की मोटरसाइकिल को जबरदस्ती अपने पास रख लिया जब वह मृतक के *ससुराल* गया था और उसके बाद अभियुक्त/अपीलकर्ताओं ने उस पर उक्त मोटरसाइकिल का स्वामित्व अपीलकर्ता लक्ष्मी कांत के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए दबाव बनाया। अतः आरोप के मद्देनजर, छीनी गई मोटरसाइकिल कथित घटना के समय अपीलकर्ताओं के कब्जे में होनी चाहिए थी, लेकिन इस संबंध में कोई सामग्री या कोई सबूत नहीं है और यहां तक कि जांच अधिकारी के साक्ष्य से भी इस आरोप का समर्थन करने के लिए कोई तथ्य सामने नहीं आता है कि पी.डब्लू.-1 की मोटरसाइकिल उस समय अभियुक्त के कब्जे में थी जब पुलिस पार्टी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था।

26. अभियोजन पक्ष ने उस टेक्स्ट संदेश पर भरोसा किया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह संदेश मृतका ने घटना के दिन अपने मोबाइल फोन नंबर का उपयोग करके सूचक के मोबाइल फोन नंबर पर भेजा था और अभियोजन पक्ष के गवाहों ने भी अपने साक्ष्य में उक्त संदेशों को उजागर किया है। इस संबंध में, अ.सा.-6 और अ.सा.-7 का साक्ष्य सुसंगत है।

27. पी.डब्लू.-6/सूचनाकर्ता ने अपनी जिरह में कहा कि उसने अपना मोबाइल फोन एस.एच.ओ. को दिया और उसे पीड़ित का संदेश दिखाया तथा एस.एच.ओ. को संदेश

मुद्रित रूप में भी दिया। जबकि जांच अधिकारी (पी.डब्लू.-7) ने अपनी जिरह में कहा कि उसे सूचनाकर्ता और मृतक का कोई मोबाइल फोन नहीं मिला, इसलिए उसने उसे जब्त नहीं किया। इसलिए, उस इलेक्ट्रॉनिक संदेश पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह घटना के दिन मृतका द्वारा सूचक के मोबाइल फोन पर भेजा गया था, बल्कि दूसरी ओर, उक्त पाठ संदेश के संबंध में जांच अधिकारी और सूचक के साक्ष्य के बीच विरोधाभास अभियोजन पक्ष के आरोप में गंभीर संदेह पैदा करता है।

28. अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य में आया कि मृतका स्नातक एवं सुन्दर महिला थी, जबकि उसके पति लक्ष्मी कान्त पाण्डेय की शिक्षा उसकी पत्नी की तुलना में अधिक नहीं थी तथा प्रासंगिक अवधि में उसकी आजीविका परम्परागत धार्मिक कार्यों के साथ-साथ कृषि पर निर्भर थी। यद्यपि पति-पत्नी के बीच शैक्षिक योग्यता में अंतर हमेशा हर मामले में आत्महत्या का आधार नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ मामलों में, जहां पति-पत्नी की पृष्ठभूमि ग्रामीण होती है, ऐसा अंतर एक या दोनों पति-पत्नी में हताशा पैदा कर सकता है, जिसके कारण वे आत्महत्या कर सकते हैं और उक्त परिस्थिति अभियुक्त/अपीलकर्ताओं के पक्ष में होती है।

29. जांच अधिकारी (पी.डब्लू.-7) जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया था, के साक्ष्य के अनुसार मृतका का शव उसके *ससुराल के घर* में उसके कमरे के गेट के पास जली हुई अवस्था में पाया गया था तथा घर का सामान जिसमें तकिया, चादर, पर्दे आदि जली हुई अवस्था में पाए गए थे तथा कमरे में लगभग 5 लीटर का खाली कंटेनर जिसमें लगभग 50 मिली लीटर मिट्टी का तेल था, भी पाया गया था तथा एफआईआर के अनुसार सूचक अपनी पुत्री द्वारा उसके मोबाइल फोन पर भेजे गए संदेश को देखने के एक घंटे के भीतर मृतका के *ससुराल* पहुंचा तथा जब वह मृतका के ससुराल पहुंचा तो उसे मृतका के *ससुराल* का कोई भी परिवार का सदस्य नहीं मिला तथा केवल मृतका का शव जली हुई अवस्था में मिला।

30. बचाव पक्ष की गवाह डी.डब्लू.-2 ने कहा कि वह अपीलकर्ताओं के घर आती-जाती थी और घटना के दिन वह अपीलकर्ताओं से पैसे लेने उनके घर गई थी, लेकिन उस

समय उसे उनके घर में कोई नहीं मिला और कुछ महिलाओं ने उसे बताया कि लक्ष्मी कांत पांडे (अपीलकर्ता) की पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। इस गवाह और मुखबिर के साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक के जलने के समय अपीलकर्ता या उनके परिवार का कोई सदस्य घर में मौजूद नहीं था और उक्त परिस्थिति और मृतका के बेडरूम में पर्दे, चादर, तकिए और अन्य सामान जलने से पता चलता है कि मृतका ने आत्महत्या की होगी।

31. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी दहेज मृत्यु के बारे में एक धारणा उत्पन्न करती है। धारा 113 बी इस प्रकार है:-

> "**[113-बी. दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा** - जब प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शाया गया है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले ऐसी महिला को ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था, तो न्यायालय यह मान लेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु का कारण बनाया है।
>
> *स्पष्टीकरण.* इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "दहेज मृत्यु" का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 304-बी में है।]"

धारा 304 बी भा.दं.सं. नीचे पुनः प्रस्तुत है:-

> "**[304 बी. दहेज मृत्यु।**
>
> (1) जहां किसी महिला की मृत्यु किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण होती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में होती है और यह दर्शाया जाता है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसे उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा और ऐसे पति या रिश्तेदार को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा।
>
> **स्पष्टीकरण**.- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "दहेज" का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में है।
>
> (2) जो कोई दहेज मृत्यु करता है, उसे कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी।]"

32. एआईआर 2004 एससी 1731 में दर्ज **कुन्हियाअब्दुल्ला बनाम केरल राज्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ '11' में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

> "**11.** साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी और भा.दं.सं. की धारा 304-बी को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि यह दिखाने के लिए सामग्री होनी चाहिए कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले पीड़िता के साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था। अभियोजन पक्ष को प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु की संभावना को खारिज करना होगा ताकि इसे "सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य तरीके से हुई मृत्यु" के दायरे में लाया जा सके। "जल्द ही" अभिव्यक्ति बहुत प्रासंगिक है जहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी और भा.दं.सं. की धारा 304-बी को सेवा में लगाया जाता है।अभियोजन पक्ष यह दिखाने के लिए बाध्य है कि घटना से कुछ समय पहले क्रूरता या उत्पीड़न हुआ था और केवल उसी मामले में अनुमान लागू होता है। इस संबंध में साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए जाने चाहिए। "कुछ समय पहले" एक सापेक्ष शब्द है और यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और इस बारे में कोई सख्त सूत्र नहीं बनाया जा सकता है कि घटना से कुछ समय पहले की अवधि क्या होगी। किसी निश्चित अवधि को इंगित करना खतरनाक होगा, और यह दहेज मृत्यु के अपराध के सबूत के साथ-साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत अनुमान लगाने के लिए निकटता परीक्षण के महत्व को सामने लाता है। भा.दं.सं. की मूल धारा 304-बी और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले" निकटता परीक्षण के विचार के साथ मौजूद है। कोई निश्चित अवधि नहीं बताई गई है और अभिव्यक्ति "मृत्यु से कुछ समय पहले" परिभाषित नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 दृष्टांत (ए) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "मृत्यु से कुछ समय पहले" का संदर्भ प्रासंगिक है। इसमें कहा गया है कि न्यायालय यह मान सकता है कि जो व्यक्ति "चोरी के तुरंत बाद" माल के कब्जे में है, वह या तो चोर है, या उसने माल को चोरी का जानते हुए प्राप्त किया है, जब तक कि वह उसके कब्जे का कारण न बता सके। "जल्द से जल्द" शब्द के अंतर्गत आने वाली अवधि का निर्धारण न्यायालयों द्वारा

> प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया जाना है। हालाँकि, यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि "जल्द से जल्द" अभिव्यक्ति का सामान्य रूप से अर्थ यह होगा कि संबंधित क्रूरता या उत्पीड़न और संबंधित मृत्यु के बीच अंतराल बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दहेज की मांग पर आधारित क्रूरता के प्रभाव और संबंधित मृत्यु के बीच एक निकट और जीवंत संबंध का अस्तित्व होना चाहिए। यदि क्रूरता की कथित घटना समय में दूर की है और संबंधित महिला के मानसिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त पुरानी हो गई है, तो इसका कोई महत्व नहीं होगा।"

33. जहां तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत अनुमान का संबंध है, हालांकि वर्तमान मामले में सूचक की बेटी की शादी के 7 साल के भीतर जलने से अस्वाभाविक मृत्यु हो गई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से सामने आए ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, इस अदालत को यह राय बनाने के लिए कोई ठोस सामग्री नहीं मिली कि मृतका को उसकी मृत्यु से ठीक पहले अपीलकर्ताओं द्वारा जलने की चोटों के रूप में क्रूरता का सामना करना पड़ा था, इसलिए, इस मुख्य तत्व की कमी के कारण, अभियोजन पक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत अनुमान का लाभ पाने का हकदार नहीं है।

34. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि यदि साक्ष्यों के आधार पर दो दृष्टिकोण उपलब्ध हों, जिनमें से एक अभियुक्त के अपराध की ओर इंगित करता हो तथा दूसरा उसकी निर्दोषता की ओर, तो अभियुक्त के पक्ष में जो दृष्टिकोण हो, उसे अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि न्यायालय का सर्वोपरि विचार यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की विफलता को रोका जाए तथा दोषी के दोषमुक्त होने से उत्पन्न न्याय की विफलता किसी निर्दोष की दोषसिद्धि से कम नहीं है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **राजस्थान राज्य बनाम राजा राम (2003) 8 एससीसी 180 के** मामले में की गई टिप्पणी महत्वपूर्ण है तथा इसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: -

> " **7.** ..... आपराधिक मामलों में न्याय प्रशासन के जाल में सबसे महत्वपूर्ण धागा यह है कि यदि मामले में प्रस्तुत साक्ष्य पर दो दृष्टिकोण संभव हैं, जिनमें से एक अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा उसकी निर्दोषता की ओर, तो अभियुक्त के पक्ष में जो दृष्टिकोण हो, उसे अपनाया जाना चाहिए। न्यायालय का सर्वोपरि विचार यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की विफलता को रोका जाए। दोषी को बरी किए जाने से उत्पन्न न्याय की विफलता, निर्दोष को दोषी ठहराए जाने से कम नहीं है....."

35. और इसके अलावा, **मेहराज सिंह (एल/एनके)** (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के मद्देनजर, मजिस्ट्रेट को एफआईआर भेजने में देरी और जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एफआईआर नंबर की अनुपस्थिति भी इस अनुमान को जन्म देती है कि तत्काल मामले की एफआईआर बाद में सोच-समझकर तैयार की गई थी।

<u>निष्कर्ष</u> : -

36. व्यवहार न्यायालय के केस रिकॉर्ड पर उपलब्ध दोनों पक्षों के साक्ष्यों पर चर्चा करने के बाद, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष के खिलाफ कुछ मजबूत परिस्थितियाँ हैं। सबसे पहले, एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश जिसे घटना के होने से कुछ घंटे पहले मृतका ने खुद भेजा था, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया, दूसरे, दृश्य साक्ष्य से पता चलता है कि मृतका और उसके पति के बीच कुछ शैक्षिक योग्यता का अंतर है, जिसके कारण मृतका ने आत्महत्या की हो सकती है और तीसरा, जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एफआईआर नंबर का उल्लेख न करना, जबकि इन रिपोर्टों की तैयारी से पहले एफआईआर दर्ज की गई थी, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया है और संबंधित क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को एफआईआर भेजने में तीन दिन की देरी और चौथा, मृतका के जलने के समय प्रासंगिक समय के दौरान घर में अभियुक्त/अपीलकर्ताओं की अनुपस्थिति। ये परिस्थितियाँ हमें अपीलकर्ताओं के पक्ष में निर्दोषता की राय बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। हालाँकि, अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्य अपीलकर्ताओं के खिलाफ कुछ परिस्थितियों

को दर्शा रहे हैं जैसे कि अपीलकर्ता मृतका को उसके पैतृक घर वापस जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे और उसे अपनी शादी के तीन महीने के भीतर गंभीर रूप से जलने की चोटें लगी थीं, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असमर्थ है कि दहेज की माँग पूरी न होने के कारण मृतका को उसकी मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता का सामना करना पड़ा था।

37. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि यदि साक्ष्यों से दो दृष्टिकोण संभव हैं, एक अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा उसकी/उसकी निर्दोषता की ओर, तो अभियुक्त के पक्ष में जो दृष्टिकोण है उसे अपनाया जाना चाहिए क्योंकि कानून की अदालत का सर्वोच्च विचार न्याय की विफलता को रोकना होना चाहिए। तदनुसार, हम पाते हैं कि इस मामले में, अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं और हम कथित अपराध में अपीलकर्ताओं की निर्दोषता के बारे में अपनी राय बनाना उचित समझते हैं क्योंकि यही न्यायोचित होगा। इस प्रकार, आरोपित अपराध के लिए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने और सजा सुनाने वाले निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है और अपीलकर्ताओं को उस अपराध से बरी किया जाता है जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया था और विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया था। परिणामस्वरूप, ये अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

38. अपीलकर्ता जेल में हैं, इसलिए उन्हें तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि अन्य मामले में उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है।

39. निर्णय की प्रति तत्काल ट्रायल कोर्ट तथा संबंधित जेल प्राधिकरण को सूचना तथा आवश्यक अनुपालन के लिए भेजी जाए।

40. एलसीआर को तत्काल संबंधित ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा जाए।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

अनु/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।